

**न्यायालय-साजिद मोहम्मद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी,
जिला अशोकनगर(म0प्र0)**

व्यवहारवाद कमांक-14ए/2016

संस्थित दिनांक- 17.06.2015

Filling no--- 235103001192015

1. भैरो सिंह पुत्र भंवरसिंह आयु 52 साल जाति यादव धंधा खेती निवासी ग्राम पाडरी सहराई तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....वादी

बनाम

1. कुजंन सिंह पुत्र संग्राम सिंह आयु 35 साल जाति यादव धंधा खेती निवासी ग्राम पाडरी सहराई तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....प्रतिवादी

2. म0प्र0 राज्य द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0

.....औपचारिक प्रतिवादी

-----:: / / निर्णय / / ::-----

{आज दिनांक:- 13.04.2017 को घोषित किया गया}

01- यह दावा वादी की ओर से ग्राम पाडरी सहराई तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र0 120/2 रकवा 0.627 है0 तथा भूमि सर्वे क्र0 129/2 रकवा 0.348 है0 भूमि में से 1/3 भाग अर्थात् 120/2/2 रकवा 0.313 है0 का 0.209 है0 व तथा सर्वे क्र0 129/2/2 रकवा 0.174 है0 का 0.116 है0 भाग (जिसे आगामी पदों में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) का प्रतिवादी क्र0 1 को विक्रय दिनांक 17.03.08 को शून्य घोषित कराकर पुनः विक्रय पत्र वादी के पक्ष में कराये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्र0 1 को विवादग्रस्त भूमि का दिनांक 17.03.08 को 30,300/- रुपये में विक्रय किया गया है।

03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम पाडरी सहराई तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र० 120/2 रकवा 0.627 है० तथा भूमि सर्वे क्र० 129/2 रकवा 0.348 है० भूमि में से 1/3 भाग का स्वामी वादी था। उक्त भूमि के शेष भाग की स्वामी कुसुमबाई पत्नी लाखन सिंह निवासी पाडरी सहराई थी। किन्तु सर्वे क्र० 120/2/2 रकवा 0.313 है० तथा सर्वे क्र० 129/2/2 रकवा 0.174 है० वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा कुसुमबाई के भाग से इस प्रकरण में कोई विवाद नहीं है। प्रकरण में सर्वे क्र० 120/2/2 रकवा 0.313 है० का 0.209 है० व तथा सर्वे क्र० 129/2/2 रकवा 0.174 है० का 0.116 है० भाग विवादित है।

04— वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 के संबंध मधुर थे तथा वादी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये रूपये की आवश्यकता थी जिसके लिये वादी ने प्रतिवादी क्र० 1 से निवेदन किया और प्रतिवादी क्र० 1 वादी से इस शर्त पर रुपये देने को तैयार हुआ कि वादी प्रतिवादी क्र० 1 के हित में वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र संपादित कर देगा तथा यह भी निर्धारित किया कि वादी अपना नामांतरण नहीं करायेगा तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी नहीं करेगा। चूंकि वादग्रस्त भूमि शामिलाली खाते की है इसलिये कब्जा दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

05— वादी ने अपनी आवश्यकता के कारण दिनांक 17.03.08 को 30,300/— रुपये में वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी क्र० 1 के हित में इस शर्त के साथ किया कि विक्रेता चाहे तो 5 वर्ष के अन्दर अपनी भूमि को वापस ले सकता है। प्रतिवादी क्र० 1 ने ग्राम पंचायत के प्रकरण क्र० 6 दिनांक 28.06.10 से वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण करा लिया जिसके संबंध में वादी को कोई सूचना नहीं हुई है। दिनांक 16.05.13 को प्रतिवादी क्र० 1 का यह उत्तरदायित्व था कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र वादी के हित में संपादित करा देता। किन्तु कई बार कहने पर भी प्रतिवादी क्र० 1 ने विक्रय पत्र संपादित नहीं कराया और प्रतिवादी क्र० 1 विक्रय पत्र संपादित कराने का आश्वासन देता रहा परन्तु कोई विक्रय पत्र संपादित नहीं कराया।

06— वादी ने विवस होकर दिनांक 01.06.15 को प्रतिवादी क्र० 1 को सूचना पत्र प्रेषित कर विक्रय पत्र संपादित कराने के लिये सूचित किया किन्तु प्रतिवादी क्र० 1 ने न तो विक्रय पत्र का जबाब दिया और न ही विक्रय पत्र संपादित कराया। वादी प्रतिवादी क्र० 1 को विक्रय पत्र में वर्णित राशि 30,300/— रु अदाकर विक्रय अपने पक्ष में संपादित कराने को तत्पर हैं, किन्तु प्रतिवादी क्र० 1 जानबुझकर विक्रय पत्र में वर्णित शर्त का पालन नहीं कर रहा है। वाद कारण दिनांक 16.05.2013 को विक्रय पत्र दिनांक 17.03.08 से 5 वर्ष होने पर तथा दिनांक 01.06.15 को सूचना पत्र प्राप्त करने के

उपरांत उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा विक्रय धन 30,300/-रु को वाद मूल्यांकन मानकर न्यायालय शुल्क 3636/- रुपये प्रस्तुत किया है तथा वाद समयावधि में प्रस्तुत किया है। अतः वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 17.03.08 निरस्त कर प्रतिवादी क्र० 1 से उक्त भूमि का वादी के हित में विक्रय पत्र संपादित कराये जाने हेतु एवं पूर्व विक्रय पत्र शुन्य घोषित किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

07— प्रतिवादी क्र० 1 की ओर से स्वीकृत तथ्यों के अलावा जबाब दावे में व्यक्त किया कि प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा विवादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा वादी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वादी द्वारा विक्रय पत्र प्रतिवादी क्र० 1 के पक्ष में संपादित किया था एवं विक्रय पत्र में उल्लेखित शर्त के अनुसार वादी ने प्रतिवादी को 5 वर्ष के अन्दर रूपया अदा नहीं किया और न ही भूमि वापसी के संबंध में कोई कार्यवाही की। इसलिये प्रतिवादी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित हुआ है। वादी द्वारा प्रतिवादी को विक्रय पत्र संपादित कराये जाने के साथ ही विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी को सौंप दिया था जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में भी है तथा प्रतिवादी क्र. 1 विवादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी को कोई सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया। वादी के मन में वदयांति आ गई है एवं जानबूझकर वादी प्रतिवादी को परेशान करने लगा है और परेशान करने के उद्देश्य से यह दावा प्रस्तुत किया है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08— प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 2 म.प्र.शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। प्रतिवादी क्र. 2 को समंस की तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

09— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :-

1.	क्या वादी ग्राम पाडरी सहराई तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र० 120/2 रकबा 0.627 है० तथा भूमि सर्वे क्र० 129/2 रकबा 0.348 है० में से 1/3 भाग प्रतिवादी क्र० 1 को विक्रय पत्र दिनांक 17.03.08 को निष्पादित कर उक्त विक्रय पत्र की शर्त के अनुसार वादी उक्त विवादग्रस्त भूमि को वापस प्राप्त करने का हकदार है ?	प्रमाणित नहीं
----	--	---------------

2	क्या वादी द्वारा प्रतिवादी क० 1 को किया गया विक्रय पत्र निरस्ति योग्य है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादी ने विवादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र में उल्लेखित शर्त का उल्लंघन किया ?	प्रमाणित
4	क्या वादी विवादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र में उल्लेखित शर्त के उसके भाग का पालन करने के लिये सदैव तत्पर और इच्छुक रहा है ?	प्रमाणित नहीं
5.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय के चरण क० 21 के अनुसार निरस्त
6.	क्या प्रस्तुत वाद समयावधि में है ?	प्रमाणित

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क० 1, 2, 3 व 4:-

10- वादप्रश्न क० 1, 2, 3 व 4 एक दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य का उन्ही बिन्दुओं पर पुनरावृत्ति को रोकने के दृष्टिकोण से उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। वादप्रश्न क० 1, 2, 3 व 4 को साबित करने का भार वादी में निहित है।

11- वादी भैरो सिंह ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में व्यक्त किया कि उसे अपनी पत्नी के इलाज हेतु रूपयों की आवश्यकता थी जिसके लिये उसने विवादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क० 1 कुंजन सिंह के यहां इस शर्त के साथ विक्रय पत्र संपादित किया कि यदि वह 5 वर्ष के अन्दर उक्त रूपया लौटा देगा तो प्रतिवादी कुंजन उक्त भूमि उसे वापस कर देगा। वादी की ओर से विवादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 7 तथा उक्त विक्रय पत्र को टंकित करने वाले साक्षी उदयनारायण वा०सा०4 की साक्ष्य कराई जिसमें साक्षी उदयनारायण ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि विक्रय पत्र प्र.पी. 7 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि प्र.पी. 7 सी एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 7 अर्थात् विक्रय पत्र का ए से ए भाग उसके द्वारा क्रेता एवं विक्रेता की सहमति से लेखबद्ध किया गया था और इस बात से इंकार किया कि उक्त ए से ए भाग उसके द्वारा बाद में बढ़ाया गया था। उल्लास नाखरे वा०सा०3 उप पंजीयक चंदेरी उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि प्र.पी. 7 एवं प्र.पी.

7 सी समान है तथा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जोकि प्र.पी. 7 है उनके कार्यालय से जारी की गई है जोकि सही है।

12— वादी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत विवादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्र.पी. 7 का अवलोकन किया, जिसके अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी कुंजन सिंह को दिनांक 17.03.08 को विवादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र संपादित किया जाना दर्शित है। उक्त विक्रय पत्र के ए से ए भाग पर यह शर्त उल्लेखित है कि “ कि विक्रेता चाहे तो 5 वर्ष के अन्दर अपनी भूमि समस्त हर्जा खर्चा देकर वापस ले सकता है” इस संबंध में वादी भैरो सिंह का कहना है कि वह वर्ष 2012 में जिसकी तारीख और महीना उसे नहीं पता प्रतिवादी कुंजन सिंह विक्रेता को 30,300/— रूपया अदा करने गया था जिसकी तारीख और महीना वह नहीं बता सकता। उक्त रुपये वादी के कथनानुसार रघुवीर सिंह गुडा वाले एवं गंगाराम प्रजापित नानोन वालो के सामने दिया था किन्तु कुंजन सिंह ने रूपया प्राप्त नहीं किया और कुंजन सिंह ने कहा था कि वह शीघ्र ही विक्रय पत्र कर देगा। उसके बाद वादी कई बार पप्पू राजा, अजय पाल सिंह तथा कृपाल सिंह को लेकर कुंजन सिंह के पास रजिस्ट्री कराने का कहने गया किन्तु प्रत्येक बार कुंजन सिंह ने शीघ्र विक्रय पत्र संपादित कर देने को कहा। जबकि प्रतिवादी कुंजन सिंह ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि वादी भैरो सिंह ने उससे 30,300/— रुपये प्राप्त कर विवादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र विधिवत उसके नाम संपादित कराया था एवं विक्रय पत्र में शर्त लिखायी थी कि 5 वर्ष के अन्दर वह उक्त रूपया अदा कर देगा। किन्तु वादी द्वारा विक्रय पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार नियत अवधि में न तो रूपया अदा किया गया था और न ही वादी उसके पास आया।

13— प्रकरण में इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि वादी भैरो सिंह द्वारा प्रतिवादी क० 1 कुंजन सिंह के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि का दिनांक 17.03.08 को विक्रय पत्र संपादित किया था एवं उक्त विक्रय पत्र की शर्त के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक से यदि वादी प्रतिवादी क० 1 कुंजन सिंह को सम्पूर्ण हर्जा, खर्चा सहित विक्रय धन अदा कर देगा तो प्रतिवादी उक्त विवादग्रस्त भूमि को वादी को वापस लौटा देगा। अर्थात् विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक 17.03.08 से 5 वर्ष की अवधि 17.03.13 को पूर्ण होती है अर्थात् वादी के पास विक्रय पत्र की शर्त के अनुसार दिनांक 17.03.2013 तक प्रतिवादी क० 1 कुंजन सिंह को विक्रीत धन हर्जा, खर्चा सहित वापस प्रदान करने का समय था।

14— वादी का यह अभिवचन है कि वह प्रतिवादी क० 1 कुंजन सिंह के

पास वर्ष 2012 में 30,300/- रुपया अदा करने के लिये रघुवीर सिंह एवं गंगाराम प्रजापति नानोन वालो के सामने देने गया था तथा इसके बाद कई बार पप्पू राजा तथा अजयपाल सिंह, कृपाल सिंह को लेकर रुपया अदा करने प्रतिवादी कुंजन सिंह के पास गया था और प्रतिवादी कुंजन सिंह बार-बार शीघ्र रजिस्ट्री कराने एवं रजिस्ट्री के समय रुपयो को लेने के बारे में कहता रहा। वादी की ओर से इस संबंध में पंचनामा प्र.पी. 27 प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन करने से उसमें यह उल्लेखित है कि वादी भिन्न-भिन्न तारीखो पर भिन्न-भिन्न लोगो के साथ प्रतिवादी क्र० 1 कुंजन सिंह को रुपया अदा करने गया था तथा उक्त पंचनामा ग्राम पाडरी के ही अजय पाल द्वारा लिखा हुआ होना बताया है, किन्तु उक्त पंचनामा किस दिनांक को लिखा गया था इस बारे में उक्त पंचनामे पर कोई उल्लेख नहीं है तथा उक्त पंचनामा जिस व्यक्ति द्वारा लिखा जाना व्यक्त किया गया है और उक्त पंचनामे पर जिन लोगो के हस्ताक्षर है उनमें से केवल पप्पू राजा के कथन वादी द्वारा न्यायालय में कराये गये।

15— पप्पू राजा ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 4 में लेख किया कि भैरो सिंह उसे साथ लेकर कुंजन सिंह का रुपया लौटाने गया था किन्तु कुंजन सिंह ने रुपया नहीं लिया और कहा कि विक्रय पत्र शीघ्र संपादित करा देगा। परन्तु उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में व्यक्त किया कि प्रतिवादी कुंजन सिंह से उसकी रजिस्ट्री के बारे में रजिस्ट्री कराने के बाद कोई चर्चा नहीं होना व्यक्त किया तथा इस बात को स्वीकार किया कि प्रतिवादी कुंजन सिंह से विवादग्रस्त भूमि की वापसी के संबंध में कोई बात नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी भैरा सिंह द्वारा प्रथमताः प्रकरण में जो पंचनामा प्रस्तुत किया है उक्त पंचनामे के केवल एक साक्षी को न्यायालय में परिक्षित कराया गया है जिसमें उक्त साक्षी ने कुंजन सिंह से विवादग्रस्त भूमि की वापसी के संबंध में कोई बात न होना व्यक्त की है।

16— स्वयं वादी भैरा सिंह द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में व्यक्त किया कि उसके द्वारा वर्ष 2015 में जमीन की वापसी के संबंध में कार्यवाही की गई है, जबकि वर्ष 2013 में म्याद पूरी हो गई है। वादी ने उसके दावे के पैरा 5 में यह अभिवचन किया है कि वादी ने दिनांक 01.06.15 को प्रतिवादी क्र० 1 को सूचना पत्र प्रेषित कर विक्रय पत्र संपादित कराने के लिये सूचित किया था अर्थात् सूचना पत्र भी स्वयं वादी के अभिवचनो के अनुसार विवादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने के 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जारी किया गया था। वादी की ओर से न्याय दृष्टांत **फातिमा बी वि० प्रहलाद सिंह 1985**

आर.एन.42 प्रस्तुत किया है, जिसमें सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 धारा 58 (डी) तथा 62 (बी)— भोग—बंधन कैसे निर्मित होता है— बन्धक ग्रहीता को कब्जा दे दिया गया— ऋण लौटा देने की अवधि पांच वर्ष रखी गई— बन्धक—पत्र में यह शर्त भी रखी गई कि यदि धन अवधि के भीतर चुकाया नहीं गया तब बन्धककर्ता भूमि को छुड़ा नहीं सकेगा तथा व्यवहार को विक्रय मान लिया जाएगा — यह भोग बन्धक है और बन्धक मोचन पर लगाई गई रोक व्यर्थ है। परन्तु उक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से वादी को उक्त न्याय दृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

17— संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 58 सी में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार जहां कि कोई बन्धककर्ता बन्धक—संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है— सशर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बन्धक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यन्तिक हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति विक्रेता को अन्तरित कर देगा वहां ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक और बन्धकदार सशर्त विक्रय द्वारा बन्धकदार कहलाता है। वादी की ओर से विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है तथा उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि में यह शर्त की “कि विक्रेता चाहे तो 5 वर्ष के अन्दर अपनी भूमि समस्त हर्जा खर्चा देकर वापस ले सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्रय पत्र में शर्त का उल्लेख होने से वह सशर्त विक्रय पत्र की श्रेणी में आता है न की भोग बन्धक की श्रेणी में।

18— संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 60 में बन्धककर्ता के मोचन करने के अधिकार का उल्लेख है जिसके अनुसार मूलधन के शोध्य हो जाने के पश्चात किसी भी समय बन्धककर्ता का बन्धकधन को उपयुक्त समय और स्थान में देने या निविदत्त करने पर यह अधिकार होता है कि वह बन्धकदार से अपेक्षा करे कि वह (क) बन्धककर्ता को बन्धक विलेख और बन्धक सम्पत्ति से संबंधित ऐसी सब दस्तावेजों का परिदान करे जो बन्धकदार के कब्जे में या शक्ति में हो, (ख) जहां कि बन्धकदार बन्धक—सम्पत्ति पर कब्जा रखता है वहां बन्धककर्ता को उस पर कब्जा परिदत्त करें, और (ग) बन्धककर्ता के खर्च पर या तो बन्धक सम्पत्ति उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह निदेशित करे, प्रति— अन्तरित करे या यह लेखबद्ध अभिस्वीकृति कि ऐसा कोई अधिकार जो बन्धककर्ता के उसहित का अल्पीकरण करता है जो बन्धकदार को अन्तरित किया गया है, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे और (जहां कि बन्धक रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है) रजिस्ट्रीकृत कराए अर्थात्

बंधकपत्र उपयुक्त समय व स्थान में बंधकित धन निवेदन करने पर बंधकित संपत्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। परन्तु वादी द्वारा बंधकित राशि हर्जा खर्चा सहित उपयुक्त समय व स्थान पर देने में सफल रहा है यह प्रमाणित नहीं होता है। वादी की ओर से न्याय दृष्टांत **गुलकंदी और अन्य वि० हरनारायण, फूलचन्द्र और अन्य एआईआर 1980 एमपी 111** प्रस्तुत किया है, जिसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से वादी को उक्त न्याय दृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19— उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि वादी द्वारा विक्रय पत्र में उल्लेखित 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात विवादग्रस्त भूमि वापस प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही की है, जिससे वादी विक्रय पत्र की शर्त के अनुसार विवादग्रस्त भूमि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी क० 1 को किया गया विक्रय पत्र भी निरस्ति योग्य नहीं है वादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि उसने विवादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र में उल्लेखित शर्त का पालन किया है तथा वादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि वह विवादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र में उल्लेखित शर्त के उसके भाग का पालन करने के लिये सदैव तत्पर व इच्छुक रहा है।

वाद प्रश्न क० 6 :-

20— प्रतिवादी क० 1 की ओर से उनके अभिवचनों में यह व्यक्त किया कि वादी की ओर से प्रस्तुत दावा अवधि बाह्य है किन्तु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। वादी ने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि यह वाद दिनांक 17.03.08 को सम्पादित विक्रय पत्र निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है तथा वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक 16.03.2013 को 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर उत्पन्न हुआ है तथा वाद 16.03.2013 से 3 साल की अवधि में प्रस्तुत कर दिया है। अतः वाद कारण दिनांक 16.03.13 को उत्पन्न होने से तथा दावा दिनांक 17.06.2014 को न्यायालय में प्रस्तुत करने से परिसीमा अधिनियम अनुसार उक्त वाद समयावधि में प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित है। अतः वाद प्रश्न क० 6 का निराकरण प्रमाणित के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क० 5 :-

सहायता एवं व्यय

21— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी यह प्रमाणित करने में

असफल रहा है कि ग्राम पाडरी सहराई तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र० 120/2 रकवा 0.627 है० तथा भूमि सर्वे क्र० 129/2 रकवा 0.348 है० में से 1/3 भाग प्रतिवादी क्र० 1 को विक्रय पत्र दिनांक 17.03.08 को निष्पादित कर उक्त विक्रय पत्र की शर्त के अनुसार वादी उक्त विवादग्रस्त भूमि को वापस करने के तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहा है। वादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्र० 1 को किया गया विक्रय पत्र निरस्ति योग्य है। वादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी विवादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र में उल्लेखित शर्त के उसके भाग का पालन करने के लिये सदैव तत्पर व इच्छुक रहा है। अतः वादी का वाद निरस्त कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1. वाद निरस्त किया जाता है।
2. प्रकरण की परिस्थिति में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

22— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियम 523 म०प्र० सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

10

case no. 14A/2016

Filing no--- 235103001192015

12.04.2017

वादी द्वारा श्री आई.के.पठान अधि० उप०।

प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा श्री सतीश श्रीवास्तव अधि०।

प्रतिवादी क्र० 2 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

प्रतिवादी कुंजन सिंह की ओर से एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी प्रस्तुत कर अतिरिक्त वाद प्रश्न विरचित किये जाने का निवेदन किया।

वादी की ओर से उक्त आवेदन के जबाब में व्यक्त किया कि प्रस्तावित वाद पत्र विरचित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी की ओर से प्रकरण को मात्र विलम्बित करने के आशय से आवेदन प्रस्तुत किया है जिसे सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी की ओर से विधि के संबंध में वाद प्रश्न विरचित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त वाद प्रश्न निर्मित किया जाना प्रकरण में न्यायोचित निराकरण में आवश्यक प्रतीत होने से अतिरिक्त वाद प्रश्न निर्मित कर पक्षकारों को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उभयपक्ष ने उक्त वाद प्रश्न के संबंध में कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया। अतः वाद प्रश्न स्थिर किया गया। उभयपक्ष की ओर से अतिरिक्त वाद प्रश्न निर्मित किये जाने के पश्चात अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना व्यक्त किया, इसके अलावा प्रकरण के अवलोकन उपरांत वादप्रश्न क्र० 3 में प्रतिवादी क्र० 1 सहवनवश लिखा हो गया है जिसे आज लाल स्याही से उभयपक्ष की सहमति से काटकर उसके स्थान पर वादी शब्द लिखा गया।

उभयपक्ष की ओर से उक्त संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति न होना व्यक्त की और न ही कोई साक्ष्य देना व्यक्त किया।

उभयपक्ष ने आज ही अंतिम तर्क श्रवण किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के अंतिम तर्क श्रवण किये गये।

वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गई, नकल प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिलाई गई।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण निर्णय हेतु 13.04.2017 को पेश हो।

साजिद मोहम्मद

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

12

case no. 14A/2016

Filing no--- 235103001192015